



उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
संख्या: 139/ /कृषि/1(3)/2003
देहरादून; दिनांक: 15 नवम्बर, 2003

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या—1327 /कृषि/1(3)/2002 दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 को अवक्रमित करते हुए उत्तरांचल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल फसलों, क्षेत्रों, प्रीमियम आदि के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार संशोधित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1. सचिव, कृषि	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव राजस्व एवं मुख्य राजस्व आयुक्त के प्रतिनिधि	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उद्यान, सहकारिता के प्रतिनिधि	सदस्य
5. निदेशक, उद्यान	सदस्य
6. निबन्धक सहकारी समितियां	सदस्य
7. निदेशक, मण्डी	सदस्य
8. अपर कृषि निदेशक	सदस्य / संयोजक
9. एग्रीकलचर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि.	सदस्य
10. महाप्रबन्धक नाबार्ड, देहरादून	सदस्य
11. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून	सदस्य
12. लीड बैंक अधिकारी, देहरादून	सदस्य
13. रीजनल मैनेजर, कोआपरेटिव बैंक, देहरादून	सदस्य
14. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
15. भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
16. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि	सदस्य

(महाप्रबन्धक)
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या: /कृषि/1(3)/2003; दिनांक: उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त सदस्य, उपरोक्तानुसार।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा० कृषि मन्त्री जी, उत्तरांचल।

(डा० पी० एस० गुसाँई)
अपर सचिव